भारत सरकार

स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई में सहायक तकनीकी अधिकारी के पद के लिए मसौदा भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 को कार्यालय ज्ञापन सं. ए. बी. 14017/61/2008- स्थापना (आर आर) के अनुपालन में बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई में सहायक तकनीकी अधिकारी के पद के भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

हितधारक, जो भर्ती नियम के मसौदे पर कोई आपत्ति/ टिप्पणी या सुझाव देना चाहते हैं, वे स्वरूपा सरण, उप निदेशक (ई.पी.आई.), कमरा सं. 647, क विग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 को भर्ती नियम को मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति/ टिप्पणी या सुक्षाव लिखित रूप में देते हुए उसकी एक सॉफ्ट प्रति epidghs@gmail.com को भेज सकते हैं।

(स्वरूपा सरण)
उप निदेशक

नई दिल्ली

दिनाँक...................

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3 उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, दिनांक 2019

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गिडी, चेन्नई, भर्ती नियम, 2003 को, जहां तक उसका संबंध सहायक तकनीकी अधिकारी के पद से है, सिवाए उन बातों के अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गिडी, चेन्नई में सहायक तकनीकी अधिकारी, समूह 'ख', अराजपत्रित के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी टीका प्रयोगशाला, गिडी, चेन्नई, सहायक तकनीकी अधिकारी, (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2019 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर तथा कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक तकनीकी अधिकारी	2* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6 (47600-151100/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
आयु- नहीं । शैक्षनिक अर्हता- नहीं ।	2 वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा ।	प्रोन्नति: तकनीकी अधीक्षक जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-5 में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास सूक्ष्मजीव विज्ञान या इम्यूनोलॉजी या जीवन विज्ञान में स्नातक की डिग्री या जैव-प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी स्नातक हो । टिप्पण 1: जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए) में शामिल होंगे: 1. उपमहानिदेशक (जन स्वास्थ्य) - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में बीसीजी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई का कार्य देख रहे निदेशक - सदस्य 3. निदेशक, बीसीजी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य 4. बीसीजी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई का कार्य देख रहे उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

[सं. ए-12018/01/2019-ईपीआई]

(जी के पिल्लई)

अवर सचिव, भारत सरकार